# <u>न्यायालयः – श्रीष कैलाश शुक्ल, व्यवहार न्यायाधीश</u> वर्ग – 1 बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.

<u>व्य0वादप्रक0 क0—57ए / 2016</u> संस्थित दिनांक 20.11.2014

श्रीमती तरसनबाई आयु 50 साल पित श्री कन्हैयालाल बिसेन, जाति पंवार निवासी ग्राम कोहका तहसील बैहर जिला बालाघाट।

.....वादी।

#### विरुद्ध

- 1.इमरतलाल आयु 65 साल पिता श्री चुन्नीलाल,
- 2.श्रीमती सगनीबाई आयु 60 साल पति श्री इमरतलाल
- 3.गंगाप्रसाद आयु 35 साल पिता श्री इमरतलाल, सभी जाति धोबी निवासी ग्राम खरपड़िया तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट मध्यप्रदेश।
- 4.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा—श्रीमान कलेक्टर महोदय,बालाघाट तहसील व जिला बालाघाट। .....प्रतिवादीगण।

# -:: <u>निर्णय</u>::-

—:: दिनांक 27.08.2016 को घोषित्रः—

- 1. यह दावा वादग्रस्त संपत्ति मौजा खरपड़िया प.ह.नं.5 परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा क्रमांक 23/2 रकबा 3.84/1.554 है0 भूमि के विषय में स्वत्व की घोषणा एवं कब्जा प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- 2. प्रकरण में स्वीकृत है कि विवादित भूमि का विकय सुमरतलाल नामक व्यक्ति द्वारा वादी को किया गया है।
- 3. वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने वर्ष 2010 में वादग्रस्त संपत्ति मौजा खरपड़िया प.ह.नं.5 परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा कमांक 23/2 रकबा 3.84/1.554 है0 भूमि सुमरतलाल से कय की थी। वादग्रस्त भूमि की चतुरसीमा इस प्रकार है कि पूर्व दिशा में इमरतलाल प्रतिवादी कमांक 01 की भूमि, पश्चिम में सरहद(सीमा), उत्तर दिशा में नाला एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है, को क्य करने के पश्चात वादी विवादित भूमि का उपयोग उपभोग करने लगी। प्रतिवादी कमांक 01 लगायत 03 वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य में व्यवधान उत्पन्न करने लगे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि उसने यह

भूमि सुमरतलाल वल्द चुन्नीलाल से क्रय की है और जितनी भूमि उसने क्रय की है उसी पर उसका आधिपत्य है परन्तु प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने वादीगण की भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में भी की गई।

- 4. वादी अपने पित के साथ विवादित भूमि पर दिनांक 20.06. 2013 को कृषि कार्य कर रही थी तभी प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 वादग्रस्त भूमि पर आये और वादी को जान से मारने की धमकी दी और वादी के कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया। इस बात की पुनः रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में दर्ज कराई गई। इसके पश्चात प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 03 ने विवादित भूमि पर विधि—विरूद्ध रूप से कब्जा कर लिया है। वादी ने पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से विवादित भूमि क्रय की है इसलिये उसे विवादित भूमि का स्वामी घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अवैध कब्जे से विवादित भूमि को मुक्त कराकर वादी को कब्जा दिलाया जावे।
- स्वीकृत तथ्य के अतिरिक्त शेष अभिवचनों का प्रात्याख्यान कर अपने जवाबदावे में प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 ने कहा है कि विवादित भूमि वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की संपत्ति नहीं है। वादी का कभी भी विवादित भूमि पर आधिपत्य नहीं था क्योंकि वह किसी अन्य गांव में निवास करती है। वादी ने सुमरतलाल वल्द चुन्नीलाल से मिलकर प्रतिवादीगण को हानि पहुँचाने के आशय से न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तृत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में कभी भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। झूठे आधारों पर वादी ने न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया है। सुमरतलाल वल्द चुन्नीलाल को यह संपत्ति भागाबाई से प्राप्त हुई थी और भागाबाई को यह संपत्ति स्व0 बुद्धु से प्राप्त हुई थी। स्व0 बुद्धु की तीन पुत्रियाँ थी जिसमें से टिगयाबाई एवं बित्तोबाई की ला-औलाद मृत्यु हो गई। तीसरी पुत्री भागाबाई के प्रथम पति राधेलाल से उत्पन्न पुत्र इमरतलाल को ठिगयाबाई ने गोद पुत्र के रूप में अपने पास रख लिया था। वादग्रस्त भूमि का विक्रेता सुमरतलाल का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं था। ठिगयाबाई के ला-औलाद होने से उसने भागाबाई के प्रथम पित से उत्पन्न पुत्र इमरतलाल को गोद लिया था और भागाबाई अपने जीवनकाल में इमरतलाल के साथ रहकर कृषि कार्य करती थी। विवादित भूमि पर भागाबाई एवं टगियाबाई की मृत्यु के पश्चात राजस्व अभिलेख में बतौर वारसान इमरतलाल एवं सुमरतलाल का नाम दर्ज किया गया। सुमरतलाल अपनी मॉ भागाबाई को प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु सुमरतलाल ने शेष खातेदारों की सहमति के बगैर राजस्व अधिकारियों से मिलकर वादग्रस्त संपत्ति को अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा

लिया और वादी को विक्रय कर दिया। विक्रय पत्र के आधार पर वादी को वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं है। सुमरतलाल ने त्रुटिपूर्ण बंटवारा कराकर राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। वादी अथवा स्व0 इमरतलाल को उनके जीवनकाल में किसी न्यायालय से या ग्राम पंचायत से बंटवारा होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है और न ही इस संबंध में इश्तेहार का प्रकाशन गांव में किया गया है। प्रतिवादीगण की जानकारी के बिना बंटवारा हुआ था और वर्तमान में सुमरतलाल का कभी भी विवादित भूमि पर कब्जा नहीं रहा है और न ही नाप—जोप किया जाकर विवादित भूमि का विक्रय वादी को किया गया था। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत दावा निरस्त किया जावे।

6. न्यायालय द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्नों की विरचना की गई है जिनके सम्मुख उसके निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

क मां क	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1 🕸	क्या मौजा खरपड़िया प.ह.नं.5, तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित खसरा	
12/13	नंबर 23 / 2 रकबा 3.84 एकड़ भूमि पर वादी को स्वत्व प्राप्त है ?	
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी कमांक 01 से 03 के द्वारा अवैध रूप से आधिपत्य किया गया है ?	
3	सहायता एवं खर्च ?	The sale

#### वादप्रश्न क01 का निष्कर्ष:-

7. इस वादप्रश्न को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी तरसनबाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वादग्रस्त भूमि मौजा खरपड़िया खसरा क्रमांक 23/2 रकबा 3.84/1.554 हे0 की भूमि है जिसकी पूर्व दिशा में प्रतिवादी क्रमांक 01 इमरतलाल की भूमि है, पश्चिम में सरहद(सीमा), उत्तर दिशा में नाला एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता है। वादी तरसनबाई वा.सा.01 ने यह भूमि वर्ष 2010 में सुमरतलाल पिता चुन्नीलाल से क्य की थी और संबंधित पटवारी हल्का के पटवारी से भूमि का नाप कराकर भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। यह भूमि विकेता सुमरतलाल पिता चुन्नीलाल के स्वत्व की भूमि थी, जिसे उसने विकय किया था। विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में प्र.पी.01 खसरा फार्म पी—2 वर्ष 2012—13 अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है जिसमें ग्राम खरपड़िया की सर्वे क्रमांक 23/2 की 1.554 हे0 भूमि तरसनबाई पति कन्हैयालाल के नाम पर दर्ज होना दर्शित है। भू—अधिकार एवं ऋण—पुरित्तका क्रमांक 903034 प्र.पी.02 अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है, जिसमें वादी तरसनबाई के नाम पर उपरोक्त भूमि के विषय में ऋण—पुरित्तका बनाया जाना दर्शित है।

- वादी तरसनबाई वा.सा.01 के अभिवचन का समर्थन वादी साक्षी 8. विजय गुप्ता वा.सा.02 ने किया है और कहा है कि वादी ने विवादित भूमि वर्ष 2010 में सुमरतलाल पिता चुन्नीलाल धोबी से क्रय की थी और पंजीकृत विक्रय पत्र के निष्पादन के समय वह बतौर साक्षी उपस्थित था और उसने विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर किये थे। इसी आशय का कथन वादी साक्षी स्मरतलाल वा.सा.03 ने अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि उसने स्वयं वर्ष 2010 में मौजा खरपड़िया की प.ह.नं.05 स्थित रकबा 3.84 एकड़ की भूमि का विक्रय वादी तरसनबाई को किया था। वादी के अभिवचनों का समर्थन शपथकर्ता बोहरनलाल वा.सा.04 ने किया है और कहा है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि सुमरतलाल पिता चुन्नीलाल से वर्ष 2010 में क्रय की थी और गवाहों के समक्ष विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। वादी तरसनबाई वा.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह ग्राम खरपडिया से 32 किलोमीटर दूर ग्राम कोहका में निवास करती है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पूर्व वह मौके पर नहीं गई थी। वादी तरसनबाई वा.सा.01 का कहना है कि विवादित भूमि को क्रय करने के लिये उसका पति मौके पर गया था इसलिये उसे विवादित भूमि के विषय में जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में वादी तरसनबाई वा.सा.01 ने यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति की है कि उसका ग्राम कोहका की भूमि से ही जीवन यापन हो जाता है और वह किसी दसरी जमीन पर खेती नहीं करती है ।
- 9. वादी साक्षी सुमरतलाल वा.सा.03 ने यह कहा है कि विवादित भूमि बंटवारा के पश्चात उसे पैतृक भूमि होने से प्राप्त हुई थी जिसे उसने तरसनबाई पित कन्हैयालाल को विक्रय किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि प्रतिवादी क्रमांक 01 इमरतलाल उसका सौतेला भाई है और इमरतलाल ने तहसीलदार के यहाँ बंटवारे के लिये आवेदन दिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि उसने भी बंटवारे के लिये तहसीलदार के समक्ष आवेदन दिया था और बंटवारे के लिये तहसीलदार द्वारा आदेश भी किया गया था। उसे उपरोक्त बंटवारे का प्रकरण क्रमांक तथा आदेश दिनांक याद नहीं है।
- 10. प्रतिवादी गंगाप्रसाद प्र.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि वह स्व0 इमरतलाल(प्रतिवादी क्रमांक—01) का पुत्र है। विवादित भूमि उसकी दादी भागाबाई तथा उनकी बहने ठिगयाबाई तथा बित्तोबाई के स्वत्व की संपत्ति थी जिनके पिता बुद्ध थे। ठिगयाबाई ला—औलाद मृत हुई। स्व0 इमरतलाल की माँ भागाबाई के 02 विवाह हुये थे। भागाबाई के प्रथम विवाह से इमरतलाल का जन्म हुआ था तथा उसके दूसरे पित चुन्नीलाल से सुमरतलाल का जन्म हुआ था। भागाबाई अपने द्वितीय पित चुन्नीलाल के साथ ग्राम पोण्डी में रहती थी और उसका विवादित भूमि पर कभी भी कोई आधिपत्य नहीं था। चूंकि बित्तोबाई पहले ही ला—औलाद फौत हो गई थी,

इसलिये ठिगयाबाई ही समस्त भूमि की मालिक हाँ गईं और उसकी मृत्यु के पश्चात इमरतलाल विवादित भूमि का स्वामी हुआ। सुमरतलाल जो कि भागाबाई के द्वितीय पित चुन्नीलाल का पुत्र था, उसने बगैर विधिक बंटवारा कराये भूमि का नामांतरण कराकर, भूमि का विकय कर दिया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि इमरतलाल एवं सुमरतलाल भागाबाई से उत्पन्न संतान है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने तहसीलदार परसवाड़ा द्वारा विवादित भूमि को 02 भागों में बांटने का आदेश दिये जाने के विषय में जानकारी नहीं होना कहा है। प्रतिवादी साक्षी गंगाप्रसाद प्र.सा.01 ने स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका संपूर्ण रकबा 7 एकड़ 60 डिसमिल भूमि पर कब्जा है और वह संपूर्ण भूमि पर खेती कर रहा है। बचाव पक्ष द्वारा साक्षी को यह सुझाव दिया गया है कि उसने विवादित भूमि की रिजस्ट्री को शून्य घोषित कराने के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है तो साक्षी ने कहा है कि उसे रिजस्ट्री की जानकारी नहीं है।

- प्रतिवादी साक्षी रिखीराम प्र.सा.०२ ने कहा है कि स्व० बुद्ध की पुत्री भागाबाई, टिगयाबाई एवं बित्तोबाई को स्व0 बुद्ध की संपत्ति मृत्यु के पश्चात प्राप्त हुई थी। बित्तोबाई ला–औलाद फौत हुई। भागाबाई के पुत्र इमरतलाल को टगियाबाई ने गोद पुत्र बनाकर अपने साथ रखा था इसलिये उसकी संपत्ति स्व0 इमरतलाल की संपत्ति हुई। विवादित भूमि बिना किसी जानकारी प्राप्त किये वादी को विक्रय की गई है इसलिये प्रतिवादीगण पर विक्रय बंधनकारी नहीं हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि टिगयाबाई ने इमरतलाल को गोद पुत्र लिया था इस आशय का लिखित दस्तावेज उसने नहीं देखा है। इसी आशय का कथन प्रतिवादी साक्षी रतनलाल प्र.सा.०३ ने अपने शपथ पत्र में किया है और कहा है कि ग्राम खरपडिया की भूमि पर ठिगयाबाई का ही कब्जा था और उसकी मृत्यू के पश्चात इमरतलाल का कब्जा हुआ और इमरतलाल की मृत्यु के पश्चात प्रतिवादी गंगाप्रसाद प्र.सा.०१ मालिक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि भागाबाई के 02 पुत्र इमरतलाल और सुमरतलाल थे जिसमें से इमरतलाल की मृत्यु हो गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि इमरतलाल एवं सुमरतलाल का इसी जमीन को लेकर 4-6 साल पहले न्यायालय में विवाद चला था। साक्षी ने इमरतलाल एवं स्मरतलाल के बीच बंटवारा होने एवं राजस्व न्यायालय से बंटवारा आदेश होने के विषय में कोई भी जानकारी न होना प्रकट किया है।
- 12. प्रकरण में वादी तरसनबाई वा.सा.01 व शेष वादी साक्षी विजय गुप्ता वा.सा.02, सुमरतलाल वा.सा.03 एवं बोहरलाल वा.सा.04 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वर्ष 2010 में विक्रय की गई थी। यह विक्रय वादी साक्षी सुमरतलाल वा.सा.03 द्वारा किया गया था, यह बात उसके शपथ पत्र से प्रकट हो रही है। विवादित भूमि के स्वत्व के संबंध में सर्वप्रथम वर्ष 2010 का पंजीकृत विक्रय

पत्र वादी को प्रस्तुत करना चाहिये था क्योंकि जहाँ कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है वहाँ मौखिक साक्ष्य पर अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। जब यह स्पष्ट रूप से वादपत्र के अभिवचन एवं शपथ पत्र में वादी पक्ष की ओर से कहा गया है कि विवादित भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी तब पंजीकृत विक्रय पत्र अभिलेख पर प्रस्तुत न किया जाना अपने आप में संदेह की स्थिति को जन्म देता है। इसके अतिरिक्त वादी साक्षी सुमरतलाल वा.सा.03 ने यह भी कहा है कि विवादित भूमि उसकी पैतृक संपत्ति थी और इस संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा बंटवारा आदेश भी पारित किया गया था, जिसके पश्चात उसने विवादित भूमि का विक्रय किया और वादी तरसनबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज हुआ। पुनः यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बंटवारा अथवा तहसीलदार द्वारा पारित बंटवारा आदेश अभिलेख पर वादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा—114 के अनुसार ''न्यायालय 13. ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।" (छ) यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता है, तो उस व्यक्ति के अनुकूल होता, जो उसका विधारण किये हुये है। उपरोक्त धारा से तात्पर्यित यह है कि यदि कोई दस्तावेज जिसका उल्लेख अभिवचनों में किया गया हो और उसे प्रस्तृत नहीं किया गया हो तो यह उपधारणा की जा सकती है कि यदि वह दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया होता तो वह उस पक्ष के लिये प्रतिकूल होता। इस प्रकरण में न तो बंटवारा आदेश प्रस्तुत किया गया है और न ही पंजीकृत विक्रय पत्र जिसका उल्लेख वाद में तथा वादी साक्षियों के शपथ पत्र में किया गया है। राजस्व दस्तावेज प्र.पी.01 एवं प्र.पी.02 के आधार पर स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती क्योंकि राजस्व दस्तावेजों में नाम का इंद्राज कब्जे के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया गया हो परन्तु इसके आधार पर स्वत्व घोषणा नहीं की जा सकती, जब तक यह प्रमाणित नहीं हो जाता कि विवादित भूमि का विधि अनुसार बंटवारा हुआ था और बंटवारे के पश्चात विवादित भूमि सुमरतलाल पिता चुन्नीलाल को प्राप्त हुई थी और उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से वादी की बंटवारे में प्राप्त संपत्ति का विक्रय किया गया था, वादी के पक्ष में स्वत्व की घोषणा नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में वादप्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

# वादप्रश्न कमांक 02 का निष्कर्षः-

14. वादी साक्षी तरसन्बाई वा.सा.01 ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि विवादित भूमि को वर्ष 2010 में उसने क्रय किया था और इसके

पटवारी से विवादित भूमि का नाप कराकर उसने गवाहों के समक्ष विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.06.2012 को वादी के कब्जे में व्यवधान उत्पन्न किया गया और दिनांक 20.06.2013 को बलपूर्वक वादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी उसने थाना प्रभारी परसवाड़ा के समक्ष रिपोर्ट भी की थी। इस संबंध में प्र.पी.03 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। प्र.पी.03 दस्तावेज थाना प्रभारी परसवाडा को वादी तरसनबाई द्वारा की गई लिखित शिकायत है जिसमें प्रतिवादीगण द्व ारा विवादित भिम पर कब्जा करने के प्रयास के विषय में शिकायत की गई है। प्र.पी.03 दस्तावेज में दिनांक 29.03.2012 लेख होना दर्शित है। इसके अतिरिक्त दिनांक 05.07.2010 को इसी आशय की शिकायत थाना प्रभारी परसवाड़ा को की गई थी। इस संबंध में प्र.पी.04 दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। वादी तरसनबाई वा.सा.01 के कथनों का समर्थन वादी साक्षी विजय गुप्ता वा.सा.02, सुमरतलाल वा.सा.03 तथा बोहरनलाल वा.सा.04 ने किया है। प्रतिपरीक्षण में स्वयं वादी तरसनबाई वा.सा.01 ने यह स्वीकार किया है कि वह ग्राम कोहका में रहती है और कोहका की जमीन से ही उसका जीवन यापन होता है, वह किसी दूसरी जमीन पर खेती नहीं करती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि को क्रय करते समय वह विवादित भूमि पर नहीं गई थी। उपरोक्त संबंध में वादी साक्षी सुमरतलाल वा.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि भूमि का विकय करने के बाद वह मौके पर नहीं गया इसलिये वह नहीं बता सकता कि जमीन पर किसके द्वारा खेती की जा रही है।

15. प्रतिवादी साक्षी गंगाप्रसाद प्र.सा.01 ने कहा है कि विवादित भूमि पर उसका आधिपत्य है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा कि स्वयं वादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी गंगाप्रसाद प्र.सा.01 को यह सुझाव दिया गया है कि संपूर्ण रकबा 07 एकड़ 60 डिसमिल भूमि पर उसका कब्जा है जिसे उसने स्वीकार किया है। यह भी सुझाव दिया गया है कि उसने वादी के स्वत्व की 3.84 एकड़ भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया है जिसका प्रतिवादी साक्षी गंगाप्रसाद प्र.सा.01 ने खंडन किया है। इस प्रकार अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से यह दर्शित है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का आधिपत्य निरंतर चला आ रहा है और उनके द्वारा बलपूर्वक विवादित भूमि पर कब्जा नहीं किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि जब तक बंटवारे के संबंध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं की जाती, तब तक प्रतिवादी कमांक 02 एवं 03 का किस भूमि पर वैध आधिपत्य है और किस भूमि पर वैध आधिपत्य नहीं है इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थित में वादप्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष अप्रमाणित में दिया जाता है।

### सहायता एवं खर्च:-

- 16. उपरोक्त विवेचना के आधार पर वादी अपना दावा सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अतः वादग्रस्त संपत्ति मौजा खरपड़िया प.ह.नं.5 परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा क्रमांक 23/2 रकबा 3.84/1.554 हे0 भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है एवं निम्न आज्ञप्ति पारित की जाती है:—
- 1. वादी वादग्रस्त संपत्ति मौजा खरपड़िया प.ह.नं.5 परसवाड़ा जिला बालाघाट की खसरा क्रमांक 23/2 रकबा 3.84/1.554 हे0 भूमि की स्वत्वधारी नहीं है।
  - 2. वादी अपना तथा प्रतिवादीगण का वादव्यय वहन करेगी।
  - 3. अधिवक्ता शुल्क सूचीनुसार अथवा प्रमाणित होने पर जो भी न्यून हो देय होगा।

तद्नुसार आज्ञप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया। हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

### दिनांक **27.08.2016**

स्थान–बैहर

सही / –

(श्रीष कैलाश शुक्ल) (श्रीष्ववहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर व्यवहार न्या

सही / — (श्रीष कैलाश शुक्ल) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, बैहर